



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।  
फोन नं० 0141-2221812,  
ई-मेल :- pcpcndt-rj@nic.in



कमांक : रा०पी०प्र०/स्वा० प्रबं०/SSB Meeting/2017/636

दिनांक : 18/10/17

### बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 04.10.2017 को साय: 4.00 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक पदेन अध्यक्ष माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ एवं प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग एवं पदेन उपाध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड श्रीमती वीनू गुप्ता के निर्देशानुसार आरएचएसडीपी हॉल, निदेशालय स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ट 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प०क०) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का सक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आइटम पर चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की दिनांक 22.05.2017 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।
2. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की पालना एवं प्रभावी क्रियान्विती के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अधिनियमानुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति का गठन पूर्ण है एवं बैठक नियमित अन्तराल पर आयोजित की जा रही है।
3. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियमानुसार राज्य में किये जा रहे पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षणों की जानकारी से बोर्ड को अवगत कराया जिस पर कम निरीक्षण वाले जिलों में जिला समुचित प्राधिकारियों को मय नाम अर्द्धशासकीय पत्र राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की मीटिंग में लिये निर्णयों के अनुसार लिखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
4. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अब तक कुल 90 डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं वर्ष 2017 में पिछली बैठक से अब तक 20 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं जिसमें से 6 अन्तर्राज्यीय डिकॉय ऑपरेशन गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में किये गये हैं। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य में गत एक वर्ष में 48 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये गए हैं।

5. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने एक्टिव ट्रेकर की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझने की आवश्यकता जताई एवं इसके लिए एक्टिव ट्रेकर कम्पनियों के विशेषज्ञों को इसकी कार्यप्रणाली एवं टैक्नीकल स्पेसिफिकेशन समझाने हेतु एक मीटिंग आयोजित कर बुलाया जाने का निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
6. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय के सुझाव पर राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठकों में आई0आर0आई0ए0 से सचिव स्तर के प्रतिनिधी को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाये जाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
7. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय के सुझाव पर राज्य में पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिनियम की पालना हेतु भविष्य में बनाये जाने वाले नये परिपत्रों/अधिसूचनाओं की एक प्रति आई0आर0आई0ए0 को दिये जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
8. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने पीसीपीएनडीटी पंजीकरण/नवीनीकरण कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाने हेतु केन्द्र से ऑनलाईन एप्लीकेशन इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर लिये जाने एवं पंजीकरण किये जाने के लिए एक कार्यप्रणाली परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी द्वारा सलाहकार आई टी श्री सोमेश सिंह के सहयोग से बनाने पर कार्य करने के निर्देश माननीय सदस्यों की सहमति से प्रदान किये गये।
9. बैठक में विधि विभाग की प्रतिनिधी श्रीमती रीटा तेजपाल के सुझाव पर परिवारों में प्रभावी पैरवी के साथ ही गवाहों की न्यायालय में उपस्थित सुनिश्चित कर बयानों को न्यायालय में दर्ज कराने के प्रभावी प्रयास करने हेतु समस्त समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं समन्वयक को निर्देश किये जाने का निर्णय लिया गया।
10. बोर्ड की बैठक में बेटी बचाओ कार्यक्रम एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समस्त जिला कलक्टर एवं सम्बन्धित अधिकारिगणों की वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग किये जाने का निवेदन श्रीमती मीना असोपा सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी के माध्यम से कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
11. श्रीमान निदेशक (प0क0) महोदय के सुझाव पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जागरूकता जनमानस में फैलाने के लिए कार्यक्रम/योजनाओं का और अधिक प्रसार-प्रचार आईईसी के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

  
(नवीन जैन)

शासन सचिव (प0क0)  
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :-

A

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। (Email :- sahealthminister@gmail.com)
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा), बी-13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045

4. श्रीमति संजना आगरी, (माननीय विधायक, सोजत, पाली), 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं० 9928371601, 9829088165।
5. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। (Email :- [ph-sje@rajasthan.gov.in](mailto:ph-sje@rajasthan.gov.in))
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email :- [secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com](mailto:secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com))
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
12. डॉ० नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी-8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न० 9414238226। (E-mail:-[neetapatni@gmail.com](mailto:neetapatni@gmail.com))
13. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी-140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न० 9414123444
14. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3-जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न० 9829363672 (Email :- [seemadaya3@gmail.com](mailto:seemadaya3@gmail.com))
15. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107-यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न० 9829394789 (E-mail:- [manjusharmabjp@gmail.com](mailto:manjusharmabjp@gmail.com))
16. डॉ० सुमन मेहंदी रत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4-YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न० 9829057336 (E-mail:- [drsumanmittal@gmail.com](mailto:drsumanmittal@gmail.com))
17. डॉ० मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न० 9414044445 (Email :- [drmrudulgehlot@yahoo.com](mailto:drmrudulgehlot@yahoo.com))
18. डॉ० तरुण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119-केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न० 9829216070 (Email :- [drtarunpatni@hotmail.com](mailto:drtarunpatni@hotmail.com))
19. डॉ० सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी-60, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न० 9571106777
20. डॉ० सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28-95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न० 9314285434 (Email :- [drskjain007@gmail.com](mailto:drskjain007@gmail.com))
21. डॉ० भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेंजिडेन्सी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न० 9461515147 (E-mail:-[gopal.bhati.gb@gmail.com](mailto:gopal.bhati.gb@gmail.com))
22. डॉ० आर.के. गुप्ता, राजस्थान मेडिकल सेन्टर, रेडियोलॉजिस्ट, जोधपुर।
23. डॉ० अनिता गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सी-201 उन्नति रेंजिडेन्सी सेक्टर-1 विद्याधर नगर जयपुर।
24. डॉ० रिमी शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता, मरुधर हॉस्पिटल खातीपुरा, जयपुर।
25. श्री राकेश वर्मा, मीडिया सदस्य, 27 बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर।

## B


1. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री लोकेश कुमार तिवाडी, संयुक्त विधि (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, पत्नी श्री लीलाशंकर आसोपा, निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर, सहायक स्टेट कमिश्नर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड, राज्य मुख्यालय, मोबाईल नं. 9414581756 (Email :- meena.asopa123@gmail.com)

## C

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

## D

1. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/सलाहकार आईईसी/सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को पालनार्थ।
5. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. संबंधित रक्षित पत्रावली।

  
 परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),  
 एवं उप निदेशक (आरसीएच),  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
 राजस्थान, जयपुर।